

# कार्यालय ग्राम पंचायत, लसुड़िया परमार

तेहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक ३४/पंचायत भवन अनुशा

पंचायत  
भवन

दिनांक २०/०९/२०२२

## भवन निर्माण अनुमति पत्र

(मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 55 के प्रावधान के अंतर्गत म.प्र.)

प्रति,

सत्य) छत्तीसगढ़ा द्वारा दिला  
मांडवी) वाराणी १०५ द्वारा  
ग्राम पंचायत विभाग द्वारा  
जिला छत्तीसगढ़ी

महोदय,

ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार अंतर्गत भूमि सर्वे नं./भूखण्ड क्रं ११२, ११३ कॉलोनी मान्डवी छत्तीसगढ़ी-  
ग्राम लसुड़िया परमार तेह. सांवेर, जिला इन्दौर में भूमि, विकास/भवन निर्माण, पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आवेदन  
क्रं १५६ के संदर्भ में आपको सूचित हो कि कार्यालय लसुड़िया परमार द्वारा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम  
निवेश इन्दौर द्वारा जारी भवन अनुशासा पत्र क्रं १५४/१५५ के अनुसार स्वीकृत भवन मानवित्र एवं  
निर्देशित शर्तों के आधीन निर्माणित शर्तों एवं उपबंधों के तहत मानवित्र अनुगोदन एवं भवन निर्माण की अनुमति  
प्रदान की जाती है।

- कार्यालय संयुक्त संचालन नगर माथा ग्राम निवेश इन्दौर द्वारा आयोजित भूमि पर अनुगोदित विकास अनुशा  
पत्र क्रं १५४/५ दिनांक १५/१२/२२ की गई शर्तों एवं नियोजन मापदण्डों का पालन किया जाये
- उपरोक्त स्वीकृत अनुसार आपके भूखण्ड/भूमि सर्वे नं ११२, ११३ क्षेत्रफल १६३.५१ वर्गमीटर पर भवन  
नियमन: ग्राउण्ड कवरेज २९.९५% प्रैमि.ए.आर.इ.५ के साथ भूमि उपयोग आवासीय उपयोग/आवासीय  
सह-वाणिजियक/औद्योगिक अपयोग..... जावालीपु. ३ प्रमाणित (रेहडुल्लु) बाबद आपको कुल  
निर्मित क्षेत्रफल १६३.५ वर्गमीटर पर संलग्न मानवित्रानुसार भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल वृक्ष भवन  
उंचाई १०.५ मीटर के भवन निर्माण कीप स्वीकृति प्रदान की जाती है
- स्वीकृत मानवित्र में दशाये पार्किंग पर किसी प्रकार का निर्माण (कर्ड पार्किंग केनोपी छोड़कर) नहीं किया जायें
- पर्यावरण सुधार कीप दृष्टि से रेन/रुफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य हेतु आवश्यक स्थान भूमि/भूखण्ड से उपलब्ध करना होगा
- भूमि विकास 2012 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये
- भवन निर्माण भूकंपरोधी नक्कीकी अनुसार करना होगा
- यह स्वीकृति दिनांक २०/११/२०२३ तक वैध होगी उष्टु अवधि अनुमति नवीनी छाँग द्वारा
- उक्त भवन अनुत्तम, आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन/भूमि स्वामी दस्तावेज, अनुगोदित विकास अनुशा, भू-व्यपवर्तन आदेश  
एवं शायथ पत्र के आधार पर दी गई है
- अगर किसी को कोई आपत्ति होने पर तत्काल कान रोकना होगा, निराकरण होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करें
- आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने पर भू-स्वामित्व संबंधी विवाद होने या दी गई अनुशा की शर्तों का उल्लंघन होने  
पर दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरसा मानी जावेगी

संलग्न : अनुगोदित मानवित्र प्रति

उपर्युक्त पत्र  
दिनांक १३/११/२०२२ के प्रत्यावर  
क्रमांक (०३) ड्वारा अनुगोदित

पंचायत मानिष वेज दिनांक  
११/११/२०२२ के प्रत्यावर अमात  
(०३) ड्वारा अनुगोदित

संचित  
ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार  
ग्राम पंचायत संस्था परमार  
तेह. सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

सरपंच  
ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार  
जनपव पंचायत, सांवेर  
ग्राम पंचायत संस्था परमार  
तेह. सांवेर, जिला इन्दौर